12.41 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED EXCHANGE OF COUNTERFEET DOLLARS FOR INDIAN CURRENCY BY FOREIGNER FROM A DELHI BANK.

श्री ब्रजभूषण तिवारी (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय का उल्लेख करना चाहता हूं :—

27 नवम्बर, 1978 को यूनियन बैंक की आसफली रोड शाखा में 500 अमरीकी डालर एक जर्मन महिला द्वारा भुनाया गया और भारतीय मुद्रा में उक्त भुगतान किया गया । जब ये डालर बम्बई मुख्यालय में भेजे गये, तो वहां जाली करार दिया गया और ऐसी रिपोर्ट के साथ पुन. आसफअली रोड शाखा को भेज दिया गया । उक्त जर्मन महिला ने दरियागंज दिल्ली का पता दिया था और वह बनारस से दिल्ली वाराणसी के एक व्यक्ति के साथ बैंक गई थी और उक्त व्यक्ति की जान-पहचान वहां के रिजनल मैनेजर से थी, जिसकी पहचान पर ही उक्त डालर का भुगतान कराया गया । यह आश्चर्य की बात है कि उस जर्मन महिला ने भुगतान कराने का कारण अपनी स्वदेश यात्रा बताया और यह भी पता चला कि वह उसी दिन रात को जहाज से जर्मनी वापस चली गई । जर्मनी में भारतीय मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं पडती । उस व्यक्ति की जान-पहचान शाखा के रिजनल मैनेजर से पुरानी है । उपर्युक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि देश के अन्दर एक ऐसा गिरोह है, जो इस प्रकार के जाली डालर बनाता है और बैंक के अधिकारियों से मिल कर उनका भुगतान कराता है ।

यह बहुत ही गम्भीर और सार्वजनिक महत्व का विषय है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पूरी घटना की सी० बी० आई० द्वारा जांच कराये और इससे सम्बद्ध व्यक्तियों तथा बड़े गिरोह का पता लगाये और उनके विरुद्ध सख्त आवश्यक कार्यवाही करे । सारी स्थिति को साफ करने के लिए आवश्यक है कि वित्त मंत्री सदन में बयान दें ।

(ii) HARRASSMENT OF CANTEEN WORKERS OF DEPARTMENT OF STATISTICS, HANS BHAVAN, NEW DELHI.

श्री राम दास सिंह (गिरडीह) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन योजना मंत्री का ध्यान नेशनल सैम्पल सरवे आर्गेनाइजेशन के सांख्यिकी विभाग, हंस भवन, नई दिल्ली, में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकार के नियमों का उल्लंघन कर के गरीब कर्मचारियों को सताने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

नेशनल सैम्पल सरवे आर्गनाइजेशन के अन्तर्गत जो कैन्टीन है, उसमें काम करने वाले निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के एक वर्ग को 170 रुपए माहवार और दूसरे वर्ग को 239 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती थी । पर्सोनेल डिपार्टमेंट के हैड ने अपने मोमो नम्बर 6/(2)/23/76-वेलफेयर, तारीख 7-1-77 के जरिए आदेश दिया कि उनकी तनख्वाह में सुधार किया गया है और मिनिमम वेज के मुताबिक उनकी तनख्वाह में बढ़ोत्तरी की गई है । लेकिन उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इतने दिनों से आज तक इस नियम के मुताबिक तनख्वाह नहीं दी । अभी एक महीने पहले, जब उन कर्मचारियों को मालूम हुआ, तो उन्होंने डायरेक्टर, पर्सोनेल को लिखा ।

MR. SPEAKER: You have to confine yourself to the written statement; you cannot travel outside.

SHRI RAMDAS SINGH: I have quoted the relevant regulation which has been violated and that is why I am telling all this.

MR. SPEAKER: You have to confine yourself to the statement. Now, go on and finish. The time of the House is very valuable.

श्री रामदास सिंह : इस महीने, अर्थात् मार्च में, उनको मिनिमम वेज के मुताबिक तनख्वाह मिल गई है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि 1976 से फरवरी, 1979 तक दोनो वेतनमानो मे अन्तर का उनका जो बकाया है, उसका उन्हे भुगतान किया जाये ।

दूसरा जो उनको मिला था उसके लिए आर्डर परसोनल डिपार्टमेंट ने दिया । उसका मेमो न० 6(2)/9/77 वेलफेयर डेटेड 21–2–78 है, उसके मुताबिक उनको गर्मी और जाडे मे वर्दी मिलनी चाहिये जो आज तक नही मिली ।

तीसरा जो नियम मैंने कोट किया है वह है मेमो नं० 6(2)/24/77 डेटेड 30–8–1978 । . . .

MR SPEAKER: You give one statement and read another.

श्री रामदास सिंह : मैं दो मिनट मे खत्म कर रहा हू ।

अध्यक्ष महोदय : आपका स्टेटमेंट दूसरा है ।

श्री रामदास सिंह . वही है जो मैंने मेमो नम्बर लिखा है उसी के वायलेशन का है . . (व्यवधान) . . .

I have said that it is about the wilful violation of regulation such-and-such.

वही तीन चार जो आबजेक्शन किया है उसके नम्बर हैं, वही मैं बोल रहा हू । दूसरा मैं बोल नही रहा हू । उसके मुताबिक एकाउंट रजिस्टर ग्रीन, कन्टीन्जेन्सी किस तरह से मेन्टेन होना चाहिये वह मेन्टेन नहीं किया गया है और उन्हें कैंटीन के लिए 8 हजार रुपया जो खर्च करने के लिए दिया गया था उसमें से 3696 रुपए 93 पैसे का खर्च उन्होंने दिखाया है लेकिन बाकी 4303 रु० 7 पैसे का न उन्होंने खर्च दिखाया है और न कानून के मुताबिक ज। उनको उसी डायरेक्टर के पास जमा करना चाहिये था वह जमा किया है । इस तरह की जो रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट के मुताबिक एक और आरोप है कि नियम के मुताबिक उन्होने एप्वाइंटमेंट लेटर नही दिया है । वह क्या करते हैं कि जिस कर्मचारी से नाराज हो जाते है उसको हटा देते है . . .

MR SPEAKER I am very sorry I will have to stop you, because you have given me a 5-line statement, and now you have made a speech. Here, it is just 5 lines.

SHRI RAMDAS SINGH: My notice is about the wilful violation of the O.M

MR SPEAKER: You cannot do that. As a senior Member, I have given you some latitude.

श्री रामदास सिंह : तो उसके अन्तर्गत उनको वर्दी आज तक नही दी गई है । वहा पर * * * * एकाउंट आफिसर-कम-ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर है जो कि पांच साल से डेपुटेशन मे है जो नियम विरुद्ध है । उनका एप्वाइंटमेंट या तो सरकार को रेगुलराइज करना चाहिये या उन्हें हटा देना चाहिए। पंजाब सरकार ने उसके बारे मे यह कहा है कि डपुटेशन पर रहने से फेवरिटिज्म, निपोटिज्म और माल-प्रैक्टिसिज होती हैं । . . .

---

*Expunged as ordered by the chair.

MR. SPEAKER: All the names should be deleted.

श्री रामवतार सिंह : तो ये जो तीन नियम मैंने दिखाये हैं इनको अधिकारियों ने वायलेट किया है । इन नियमों को लागू करके वहां के कर्मचारियों का जो बकाया है उसका भुगतान किया जाना चाहिये और इन नियमों के मुताबिक उनको सुविधायें प्रदान करनी चाहियें ।

(iii) REPORTED IRREGULAR SUPPLY OF COAL TO BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL.

SHRI A. K. SAHA: Sir, under rule 377, I wish to raise the following matter:

A serious situation has arisen in the Bankura district, due to irregular supply of soft coke coal to Bankura Wholesale Consumers Cooperative Society Ltd., a Government agency, since December, 1978. A brief picture of coal delivery to the district of Bankura by Basanti Mata Colliery and Salanpur Area Colliery is given below:

Month	Quota	Delivery made upto date	Balance	Remarks
December '78 .	200 MT	62 MT	138 MT	Balance quantity not yet been supplied by the colliery.
January '79 .	700 MT for Bankura and 180 MT for Bishnupur.	No lifting in this colliery.	880 MT	Colliery denied to supply.
February 1979 .	540 MT	No lifting in this colliery	540 MT	The Salanpur Area Colliery directed B.W.C.C.S.L. to lift soft coke coal from Gourandi colliery. As the stock of Gourandi colliery is of inferior quality, the B.W.C.C S.L. prayed for making arrangements for delivery from Banjumehari and other collieries, but the prayer has been refused.
March '79 . .	504 MT	No lifting.	504 MT	The colliery authority has been contacted on 16-3-79 but the reply has not yet been received.